	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी द्वारा न्यायालय आदेश कि यात्रा पूर्ण नही कि गई. प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी गई वाद वादी का सिद्ध नही होने से दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा सं0 : 9/2020

श्री रूपा पिता बालू जी धाकड निवासी अमरपुरा तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. माधुलाल पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
2. कैलाश पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
3. गोपाल पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
4. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय बेगूँ
5. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री गोपाल लाल धाकड़
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 30.09.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया तह0 बेगूँ के राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 135 में खसरा 418/322 रकबा 0.4800 हैक्टर की कृषि आराजीयात वादी के नाम पर अवस्थित है। यह भूमि वादी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की है।

यह कि प्रतिवादीगण ग्राम कंथारिया के मूल निवासी है तथा वादी की भूमि के पाडोस में प्रतिवादीगण की अन्य भूमि स्थित होने से प्रतिवादीगण के मन में हमेशा वादी की भूमि को हडपने एवं जबरन कब्जा कर लेने की बदनियति रहती है। इसलिए प्रतिवादीगण आये दिन वादी की भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में तथा उपयोग उपभोग में कानून विरूद्ध हस्तक्षेप करते रहते है, एवं कभी वादी की भूमि के चारों तरफ की गई चारदीवारी के कोट के पत्थर को गिरा देते है एवं कभी पशुओं को खेत के अन्दर घुसाकर फसल को नुकसान करा देते है। प्रतिवादीगण वादी को परेशान एवं प्रताडित कर भूमि पर जबरन कब्जा कर लेने के अवसर में एवं तैयारी में रहते रहे है।

यह कि वादी ग्राम अमरपुरा ग्राम पंचायत रामपुरिया के निवासी है तथा प्रतिवादीगण ग्राम कंथारिया के ही मूल निवासी है। वादग्रस्त उक्त वर्णित कृषि भूमि भी ग्राम कंथारिया में स्थित है, जो ग्राम अमरपुरा से लगभग 07 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा प्रतिवादी जनबल व धनबल में भी वादी से अधिक सक्षम हो से एवं राजनितिक रसूखदार होने से प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त वर्णित कृषि भूमि 418/322 रकबा 0.4800 हैक्टर पर दिनांक 22.07.2020 को कानूनन विरूद्ध तरीके से एवं ताकत के बल पर जबरन एलानिया तौर पर भूमि पर ट्रेक्टर से हॉक कर जबरन कब्जा किया है जिसे वादी वापिस प्राप्त करने का अधिकरी है। वादी को न्यायालय द्वारा कब्जा विधिवत दिलाने जाने के पश्चात कभी भी प्रतिवादीगण वापस विधि विरूद्ध ढंग से कब्जा छीन सकते है या वादी को न्यायालय के माध्यम से भूमि का कब्जा सिपूर्द किये जाने के पश्चात भी वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि पर उनके उपयोग उपभोग में आये दिन हस्तक्षेप करके वादीगण को परेशान व प्रताडित कर सकते है इसलिए वादी के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी प्रदान किया जाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है कि माननीय न्यायालय द्वारा वादी को भूमि का वापस कब्जा दिलाये जाने के पश्चात प्रतिवादीगण वादी की वाद वर्णित भूमि के वादी के उपयोग उपभोग में किसी तरह का हस्तक्षेप भविष्य में न तो स्वयं करें न किसी अपने पारिवार के सदस्य से नौकर से ऐजेन्ट आदि से करावे।

यह कि वाद वर्णित उक्त भूमि में रबी (उन्हालू)की फसल लगभग 40000रूपये मूल्य की होती है एवं खरीफ (सियालू) की फसल लगभग 35000 रूपये मूल्य की होती है । प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्जत वर्णित कृषि भूमि पर अनाधिकार कब्जा कर लेने से वादी को प्रतिवर्ष 75000 रूपये की आर्थिक नुकसान होगा । यदि प्रतिवादीगण वादी को भूमि का कब्जा सिपुर्द नहीं करते है तो माननीय न्यायालय के माध्यम से वादी को उक्त भूमि का कब्जा सिपुर्द होने तक प्रतिवर्ष 75000 रूपये की राशि अन्तवर्ती लाभ (मिन्स प्रोफिट) के रूप में प्रतिवर्ष दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत होगा जिसके लिए भी यह वादपत्र पेश है।

यह कि वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु वाद कारण दिनांक 22.07.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया वादी की वाद वर्णित खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी देकर दिनांक 22.07.2020 को ही वादी को उक्त वर्णित भूमि को ट्रेक्टर से हॉक कर कब्जा कर लेने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। यह कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाये गये है।

अतः वादी माननीय न्यायालय श्रीमान आपसे निम्न अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है कि:–

(क) यह कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि वादी की ग्राम कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया में स्थित कृषि भूमि जिसके राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

संख्या 135 के खसरा नम्बर 418/322 रकबा 0.4800हैक्टर भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वापस लिया जाकर वादी को उक्त भूमि का कब्जा सिपुर्द कराये जाने का आदेश कराया जावें।

(ख) यह कि वादी के पक्ष में यह स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश एवं आज्ञप्ति भी प्रदान करायी जावे कि ग्राम कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया में स्थित उक्त आराजीयात खसरा संख्या 418/322 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि का कब्जा विधिवत वादी को सिपूर्द किये जाने के पश्चात प्रतिवादीगण वादी के वाद वर्णित भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में एवं कृषि करने में तथा कृषि के लिए आने जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें और न ही अपने परिवार के सदस्य के द्वारा नौकर या अन्य व्यक्ति से करावें।

(ग) यह कि वादी को वाद वर्णित भूमि का कब्जा प्रतवादीगण से वापस लिया जाकर सिपूर्द होने तक प्रतिवर्ष वादी को प्रतिवादीगण से 75000 रूपये का अन्तवर्ती लाभ (मिन्स प्रोफिट) के रूप में दिलाये जाने का आदेश भी प्रदान कराया जावें।

वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये जबकि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से पैरोकार सरकार के रूप में तहसीलदार बेगूँ उपस्थित आए। इस प्रकरण में भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में एक तरफा करते हुए साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी रूपा पिता बालु धाकड का प्रस्तुत किया गया तथा मुख्य परीक्षण के समय वादी द्वारा अपने बयान कलमबद्ध कराते हुए प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा मामला एक तरफा होने से जिरह एवं पुनः परीक्षण निल रहा है। इस प्रकार पत्रावली में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने एवं कोई जबाब व साक्ष्य प्रस्तुत उनकी ओर से नहीं होने से दावा पत्र पर एक तरफा बहस अधिवक्ता वादी की ध्यानपूर्वक सुनी गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस वादपत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए वाद वर्णित कृषि भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाते हुए पुनः वादी को कब्जा दिलाये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली में बहस सुने जाने के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया । वादी द्वारा दावा पत्रावली में अपने वादपत्र के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है उनमें नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 का अवलोकन किया गया मौजा कंथारिया पटवार हल्का रामपुरिया की आराजी संख्या 418/322 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि के खातेदार वादी रूपा पिता बालू धाकउ सा. अमरपुरा खातेदार नामा. सं. 541 अंकित है। साथ ही जमाबंदी में नोट अंकित है कि ईन्तकाल नं. 662 दिनिंक 2.04.2018 से रहन आई सी आई सी आई बैंक शाखा बेगूँ नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। प्रदर्श– 2 नकल नक्शाद्रेस आराजी की पेश की है। इन दस्तावेज के अवलोकन से वादी वाद वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार होना सिद्ध है। वादी के द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, वादपत्र से तथ्य स्पष्ट नहीं होतें है कि प्रतिवादीगण वादी की कृषि आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है या जबरन कब्जा कर लिया है। वादपत्र में वादी ने यह तथ्य अंकित किया है कि कृषि भूमि पर चारो ओर पत्थर कोट के पत्थर को प्रतिवादीगण गिरा देते है मवेशी छोड देते है, जब ये सब कृत्य प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरूद्ध किए जाते रहे है तो वादी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रथम ईत्तिला रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में दर्ज क्यो नहीं करवाई तथा न्यायायल से उन्हें पाबंद कराने की कार्यवाही क्यो नहीं की गई।

वाद कारण दिनांक 22.07.2020 को उत्पन्न होकर दिनांक 22.07.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो पहले प्रतिवादीगण के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट करानी थी, साथ ही वादी द्वारा यह वादपत्र 07.09.2020 को दो माह पश्चात प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कब्जे किए जाने की पुष्टि में अपने स्वयं का साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिये जाने की पुष्टि हेतु कोई स्वतंत्र गवाह इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नही किए है। साथ ही वर्णित कृषि भूमि बैंक के रहन दर्ज भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 जों कि कृषि भूमि से कब्जा पुनः प्राप्त कराने के लिए है में कब्जा अन्य का होना बयानो के माध्यम से सिद्ध कराना होता है।

उपरोक्त सभी तथ्यो से वादी का वादपत्र साक्ष्य सबूत एवं स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किए जाने के अभाव में प्रतिवादीगण का कब्जा वादी की भूमि में होना सिद्ध नही होता है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 9/2020

श्री रूपा पिता बालू जी धाकड निवासी अमरपुरा तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1. माधुलाल पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
2. कैलाश पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
3. गोपाल पिता नारायण धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
4. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय बेगूँ
5. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल धाकड की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री ..... की अनुपस्थिति में वाद अ.धा. 183–188 आर.टी. एक्ट में आज दिनांक 30.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिकी किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ